तारीख हुकम	डीवा रामसहाय पुत्र रामस्वरूप आदि 53/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/7/09	वकील पसारान उभय पक्षगण के वकील वकील प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में विड्रा करने हेतु निवेदन किया। अनुमति चाही। वकील प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः वादीगण को वाद इस स्तर पर विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पसारान के मध्य समझौता नहीं होने की सूरत में वादीगण तरामीम बाबत पुनः वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः वाद वादीगण की प्रार्थना पर इस स्तर पर खारिज किया जाता है तथा वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नकल के काबिल है।	

(जगदीश आर्य)
RAO

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner